

Press Note

गत दिनांक 08/06/2019 को शिकायतकर्ता श्री बिपिन कुमार कैलाशनाथ राय ने अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवाई की वो अपनी जय बजरंग ओटो पार्ट्स की शॉप डाभेल सोमनाथ मेन रोड को दिनांक 27/05/2019 की रात में 23:00 वह बंद करके अपने घर गए थे । जब दिनांक 28/05/2019 को शिकायत कर्ता के भाई विवेक कैलाशनाथ राय ने सुबह 06:00 दुकान खोली तो पाया की दुकान के पीछे का दरवाजा टुटा हुआ था और दुकान में रखे ऑटो पार्ट्स की चोरी कोई किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई हे जिसकी कीमत तकरीबन 03 से 04 लाख थी। जिसके अंतर्गत नानी दमन पो.स्टे. मे धारा 380,457, r/w 34 IPC के मुताबिक मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई।

अपराध की गंभीरता को ध्यान मे लेते हुए महोदय DIG(P) दमन-दीव और दादरा नगर हवेली श्री ऋषीपाल सर, एवं महोदय SP श्री विक्रमजीत सिंह, एवं SDPO श्री रजनीकांत के मार्गदर्शन मे नानी दमन पोलिस स्टेशन एस.एच.ओ. श्री सोहील जीवाणी के नेतृत्व मे PSI स्वानंद इनामदार, हेड कोन्स्टेबल प्रताप नथु , हेड कोन्स्टेबल युवराज जाडेजा की अलग-अलग टीम बनाकर घटना की आगे की तफ्तीस की गई। दिनांक 24/07/2019 के दिन सोमनाथ डाभेल क्षेत्र से शंकास्पद व्यक्तियों (1) संजय सुखदेव गुप्ता उम्र- 34 पता कलरिया सोमनाथ नानी दमण मूल निवासी जिला जमुई बिहार |2) संतोषकुमार सिंह महेश सिंह उम्र- 25 पता डाभेल नानी दमण मूल निवासी जिला नालंदा बिहार |3) संजय विनोद यादव उम्र- 36 पता डाभेल नानी दमण मूल निवासी जिला जमुई बिहार|4) चन्दन सहदेव शाह उम्र- 19 पता कलरिया सोमनाथ नानी दमण मूल निवासी जिला गिरीडीह झारखंड, को नानी दमन पो.स्टे. मे लाया गया । और पूछताछ के दौरान सभी अपराधीओ ने अपना जुर्म कबूल किया जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई और कोर्ट के समक्ष पेश करने पर दिनांक 29/07/2019 तक पोलिस कस्टडी प्रदान की गई थी। जिसमे आगे की तफ्तीश जारी रखते हुये आरोपिओ के पास से चोरी किए ऑटो पार्ट्स और चोरी करने के लिए उपयोग किए हुये वाहन हीरो स्प्लेंडर मोटर साइकल जिसका नं. DD 03 C 8107 एवं ऑटो जिसका नं. GJ-15-AU-1783 कब्जे मे लिया गया और आगे की तफ्तीस हेड कोन्स्टेबल प्रताप जादव द्वारा जारी है।

